

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 249/2022

अभय प्रताप बनाम कानसिंह

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता हाजिर। वादी का वाद स्वीकार कर सहमति के आधार पर अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हिस्से में अपने पिता स्व० सुमरे सिंह के पैतृक हिस्से 1/4 का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	